

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3503

जबलपुर, दिनांक 22/12/2020

दो-14-137/16

श्रीमती चित्ररेखा जाम्पुरे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को कोविड-19 के बचाव संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38-ग संतान पालन अवकाश के अनुसार दिनांक 24.12.2020 से 23.03.2021 तक 90 दिवस का संतान पालन अवकाश एवं नुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/3504

जबलपुर, दिनांक 22/12/2020

दो-14-137/16

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती चित्ररेखा जाम्पुरे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
पता- श्रीमती चित्ररेखा जाम्पुरे, ग्राम छोटी घुसमारा, पोस्ट पाथरगांव तह. लॉजी बालाघाट
पिन 481222
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(टीमक बसल) 22/12/2020
रजिस्ट्रार (न्या.-एक)
A